रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112024-259033 CG-DL-E-29112024-259033

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2024/अग्रहायण 8, 1946

No. 680]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024/ AGRAHAYANA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

आय-कर

सा.का.नि. 739(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अप्रैल 2024 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

7735 GI/2024 (1)

2. आयकर नियम, 1962 में, -

- (क) नियम 10नघ के उपनियम (3ख) में, "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से,-
 - (i) नियम 10तजघ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'घगक - "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय के लिए सुरक्षित संश्रय नियम

परिभाषाएं —.10नझ. इस नियम और नियम 10नझक से नियम 10नझग के प्रयोजनों के लिए,-

- (ए) "पात्र निर्धारिती" से हीरा खनन के कारोबार में लगी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने नियम 10नझक के अनुसार सुरक्षित संश्रय नियमों के लागू होने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया है;
- (ख) "पात्र कारबार" से किसी भी अधिसूचित विशेष क्षेत्र में अपरिष्कृत हीरे बेचने का कारबार, जैसा कि धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट है ;
- (ग) "सकल प्राप्तियां" से निम्नलिखित का योग अभिप्रेत है—
 - (i) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा अपरिष्कृत हीरे की बिक्री के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदत या संदेय रकम; तथा
 - (ii) ऐसे पात्र निर्धारिती द्वारा अपरिष्कृत हीरे की बिक्री के कारण पात्र निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम :
- (घ) "सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष" से निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग किया जाता है;
- (ई) "अपरिष्कृत हीरे" से ऐसे हीरे अभिप्रेत हैं, जो,-
 - (i) बिना काटे या बिना पॉलिश किए हुए है;
 - (ii) अवर्गीकृत हीरे ;
 - (iii) बिना काम किए या केवल चिरे हुए, विदारित या अनगढ़ हीरे ;
 - (iv) किम्बरली प्रक्रिया द्वारा यथा परिभाषित संघर्ष हीरे नहीं ;
 - (v) निर्यातक देश में किम्बरली प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ हीरे ; और
 - (vi) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7102 के अंतर्गत आते हैं।

सरक्षित संश्रय— 10नझक. (1) आयकर प्राधिकारी नियम 10नझख के अधीन किसी भी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में एक पात्र निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए सुरक्षित संश्रय के विकल्प को स्वीकार करेंगे, जहां एक पात्र कारबार से ऐसे निर्धारिती द्वारा घोषित आय उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है, जब तक कि ऐसे सुरक्षित संश्रय को नियम 10नझख के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन अवैध घोषित नहीं किया जाता है।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित पात्र कारबार के संबंध में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां स्तंभ (2) में यथानिर्दिष्ट होंगी, अर्थात: -

सारणी

पात्र कारबार	परिस्थितियाँ	
(1)	(2)	
नियम 10नझ के खंड (ख) में निर्दिष्ट	"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन	
अपरिष्कृत हीरे की बिक्री।	कर से प्रभार्य पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ ऐसे	
	कारबार से सकल प्राप्तियों के 4 प्रतिशत या अधिक होंगे ।	

- (3) जहां पात्र निर्धारिती ने किसी भी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में पात्र कारबार के संबंध में नियम 10नझख के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और ऐसे विकल्प को उक्त नियम के अधीन अवैध घोषित नहीं किया गया है,-
 - धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी भी कटौती को पहले से ही पूर्ण प्रभाव क) दिया गया माना जाएगा और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ;
 - ऐसे कारबार की किसी भी आस्ति के अवलिखित मूल्य की गणना की गई मानी जाएगी मानो पात्र ख) निर्धारिती ने दावा किया था और वास्तव में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अवक्षयण के संबंध में कटौती अनुज्ञात की गई थी ;
 - धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन शेष अवक्षयण का कोई मुजरा या धारा 72 की उपधारा (1) ग) के अग्रेषित हानि ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं होगी ; और
 - धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अन्य कारबार से हानि का मुजरा या धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अन्य शीर्ष से मुजरा ऐसे निर्धारिती को ऐसे कारबार के संबंध में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अधीन कर से प्रभार्य आय के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (4) धारा 92घ और 92ङ के उपबंध एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में लागू होंगे, यदि पात्र निर्धारिती पात्र कारबार को करते हुए ऐसा संव्यवहार करता है।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" का वही अर्थ होगा जो धारा 92ख में उसका है।

प्रक्रिया.— 10नझख. (1) सुरक्षित संश्रय के लिए विकल्प का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 139 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पहले, निर्धारण अधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप संख्यार 3गङचग प्रस्तुत करेगा ।

(2) पात्र कारबार से आय नियम 10नझक के उपनियम (2) के उपबंधों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी, जहां निर्धारिती उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है।

- (3) निर्धारण अधिकारी लिखित रूप में एक आदेश द्वारा सुरक्षित संश्रय के विकल्प को अवैध घोषित कर सकेगा, जहां निर्धारिती-
 - क) गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके सुरक्षित संश्रय का लाभ उठाया है ; या
 - ख) अपने कारबार से संबंधित तथ्यों को छिपाया है।
- (4) निर्धारण अधिकारी उप-नियम (3) के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प को अमान्य घोषित करने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
- (5) निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को उप-नियम (3) में निर्दिष्ट आदेश की एक प्रति तामील करेगा और अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

पारस्परिक करार प्रक्रिया लागू नहीं होना.— 10नझग. निर्धारिती एक पात्र कारबार के संबंध में धारा 90 या धारा 90क में यथानिर्दिष्ट दोहरे कराधान से बचने के लिए एक करार के अधीन पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया का अवलंब होने का हकदार नहीं होगा, यदि निर्धारिती ने ऐसे कारबार के संबंध में नियम 10नझख के अधीन सुरक्षित संश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है और ऐसे विकल्प को उक्त नियम के अधीन अवैध घोषित नहीं किया जाता है।

(ii) परिशिष्ट-2 में, प्ररूप सं. 3गङचख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 3गङचग

[नियम 10नझक का उपनियम (1) देखें]

[ई-प्ररूप]

"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर के लिए प्रभार्य धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय के लिए सुरक्षित संश्रय का चयन करने के लिए आवेदन

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी
महोदय/महोदया,

मैं आयकर नियम, 1962 के नियम 10नझ से 10नझग के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गख के अधीन सुरक्षित संश्रय नियमों के चयन का प्रस्ताव करता हूं । इस संबंध में विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

1. साधारण:

- (क) निर्धारिती का पूरा नाम :
- (ख) स्थायी लेखा संख्या :
- (ग) निर्धारिती का पता :
- (घ) निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलापों की प्रकृति :
- (ङ) प्रास्थिति :
- (च) निर्धारण वर्ष :

[भाग II—खण्ड3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

2. पात्र कारबार

क्र.सं.	पात्र कारबार के संबंध में विशिष्टियां	टिप्पणियां
1.	क्या निर्धारिती नियम 10नझ के खंड (क) में निर्दिष्ट एक पात्र निर्धारिती है ?	हाँ/नहीं
2.	क्या निर्धारिती नियम 10नझ के खंड (ख) में निर्दिष्ट अपरिष्कृत हीरे की बिक्री	हाँ/नहीं
	का पात्र कारबार कर रहा है ?	
3.	यदि क्रम सं (1) और (2) पर प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो निम्नलिखित विवरण	
	प्रदान करें :	
	(क) पात्र कारबार का विवरण	
	(ख) पात्र कारबार की सकल प्राप्तियाँ	
	(ग) उपर्युक्त मद (ख) में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियों का 4%	
	(घ) क्या निर्धारिती अपरिष्कृत हीरों की बिक्री के पात्र कारबार से भिन्न कोई	
	अन्य कारबार कर रहा है	
	(ङ) यदि ऊपर निर्दिष्ट मद (घ) का उत्तर हां है, तो ऐसे अन्य कारबार	
	(कारबारों) का विवरण	
	(च) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य	
	ऐसे अन्य कारबार के लाभ	

मैं घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी सही है और सत्य कथित है ।	
स्थान :	
तारीख :	
	भवदीय
	हस्ताक्ष
	नाम
	पदनाम/हैसियत
	पत

टिप्पण – आवेदन को धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 124/2024/फा. सं. 370142/13/2024-टीपीएल(पार्ट)]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: इन नियमों के नियम 2 के खंड (क) में आयकर नियम, 1962 में किया गया संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है और पूर्ववर्ती वर्ष 2023-24 से सुसंगत निर्धारण वर्ष 2024-25 पर लागू होता है। तदनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2024

INCOME-TAX

- **G.S.R. 739(E).** In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (2) of section 92CB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 2024.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to have come into force on the 1st day of April, 2024.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,—
 - (a) in rule 10TD, in sub-rule (3B), for the words and figures "assessment years 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24", the words and figures "assessment years 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25" shall be substituted;
 - (b) with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette,-
 - (i) after rule 10THD, the following rules shall be inserted, namely:-
 - 'DCA. Safe Harbour Rules for income referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 9 chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession"

Definitions.— **10TI**. For the purposes of this rule and rule 10TIA to rule 10TIC,—

- (a) "eligible assessee" means a foreign company engaged in the business of diamond mining which has exercised an option for application of safe harbour rules in accordance with rule 10TIA;
- (b) "eligible business" means a business of selling raw diamonds in any notified special zone as referred to in clause (e) of *Explanation* 1 to clause (i) of sub-section (1) of section 9;
- (c) "gross receipts" means the aggregate of -
 - (i) the amount paid or payable to the eligible assessee or to any person on his behalf on account of sale of raw diamonds by such eligible assessee; and

- (ii) the amount received or deemed to be received by the eligible assessee or by any person on his behalf on account of sale of raw diamonds by such eligible assessee;
- (d) "relevant previous year" means the previous year relevant to the assessment year in which the option for safe harbour is exercised;
- (e) "raw diamonds" means diamonds that are,-
 - (i) uncut or unpolished;
 - (ii) unassorted;
 - (iii) unworked or simply sawn, cleaved or bruted;
 - (iv) not conflict diamonds as defined by the Kimberley Process;
 - (v) accompanied by Kimberley Process Certificate issued by the Kimberley Process authority in the exporting country; and
 - (vi) falling under Tariff Heading 7102 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

Safe Harbour.— **10TIA.** (1) The income-tax authorities shall accept the option for safe harbour exercised by an eligible assessee in any relevant previous year under rule 10TIB, where the income declared by such assessee from an eligible business is in accordance with the circumstances as specified in sub-rule (2), unless such safe harbour is declared invalid under the provisions of sub-rule (3) of rule 10TIB.

(2) The circumstances referred to in sub-rule (1) in respect of the eligible business mentioned in column (1) of the Table below shall be as specified in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Eligible business	Circumstances	
(1)	(2)	
Selling of raw diamonds referred to in clause (b) of rule 10TI.	The profits and gains of the eligible business chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" shall be 4 per cent. or more of the gross receipts from such business.	

- (3) Where the eligible assessee has exercised the option for safe harbour under rule 10TIB in respect of the eligible business in any relevant previous year and such option is not declared invalid under the said rule,—
 - (a) any deduction allowable under the provisions of sections 30 to 38 shall be deemed to have been already given full effect to and no further deduction under those sections shall be allowed;
 - (b) the written down value of any asset of such business shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for such previous year;
 - (c) no set off of unabsorbed depreciation under sub-section (2) of section 32 or carried forward loss under sub-section (1) of section 72 shall be allowed to such assessee; and
 - (d) no set off of loss from other business under sub-section (1) of section 70 or other head under sub-section (1) or sub-section (2) of section 71 shall be allowed to such assessee for income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession" in respect of such business.
- (4) The provisions of sections 92D and 92E shall apply in respect of an international transaction, if the eligible assessee enters into such transaction while carrying on the eligible business.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, "international transaction" shall have the same meaning as assigned to in section 92B.

Procedure.— **10TIB**. (1) For the purposes of exercising option for safe harbour, the assessee shall furnish Form No. 3CEFC, complete in all respects, to the Assessing Officer before furnishing the return of income under section 139 for the relevant previous year.

- (2) The income from eligible business shall be determined in accordance with the provisions of the Act without having regard to the provisions of sub-rule (2) of rule 10TIA, where the assessee does not exercise option for safe harbour under sub-rule (1) of the said rule.
- (3) The Assessing Officer may declare the option for safe harbour as invalid by an order in writing, where the assessee has -
 - (a) availed the safe harbour by furnishing incorrect facts; or
 - (b) concealed facts related to his business.
- (4) The Assessing Officer shall afford a reasonable opportunity of being heard to the assessee before declaring the option for safe harbour invalid under sub-rule (3).
- (5) The Assessing Officer shall serve a copy of the order referred to in sub-rule (3) to the assessee and the other provisions of the Act shall apply accordingly.

Mutual Agreement Procedure not to apply.— 10TIC. The assessee shall not be entitled to invoke mutual agreement procedure under an agreement for avoidance of double taxation as referred to in section 90 or section 90A in relation to an eligible business, if the assessee has exercised the option for safe harbour under rule 10TIB in respect of such business and such option is not declared invalid under the said rule.'.

(ii) in Appendix-II, after Form No. 3CEFB, the following Form shall be inserted, namely:-

'FORM NO. 3CEFC

[See sub-rule (1) of rule 10TIA]

[e-Form]

Application for opting for safe harbour for income referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 9 chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession"

Γ	o	,

The Assessing Officer

.....

Sir/Madam.

I propose to opt for the safe harbour rules under section 92CB of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) read with rules 10TI to 10TIC of the Income-tax Rules, 1962. In this regard the particulars are as under:

1. General:

- (a) Full name of the assessee:
- (b) Permanent Account Number:
- (c) Address of the assessee:
- (d) Nature of business or activities of the assessee:
- (e) Status:
- (f) Assessment Year:

2. Eligible Business

Sl.	Particulars in respect of eligible business	Remarks
No.		
1.	Whether the assessee is an eligible assessee as referred to in clause (a) of rule 10TI?	Yes/No
2.	Whether the assessee is carrying on the eligible business of selling of raw diamonds as referred to in clause (b) of rule 10TI?	Yes/No
3.	If reply to question at Sl. No. (1) and (2) is yes, provide the following details:	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

(a) Description of the eligible business.

	(b) Gross receipts of the eligible business	
	(c) 4% of the gross receipts referred to in item (b) above	
	(d) Whether the assessee is carrying on any other business other than the eligible business of selling of raw diamonds	
	(e) If reply to item (d) referred above is yes, description of such other business(es)	
	(f) Profits of such other business chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession"	
Plac	clare that the information furnished herein is correct and truly stated.	
Date	:	Yours faithfu

Note .—The application shall be verified by the person authorised to verify the return of income under section 140.'.

[Notification No. 124/2024/ F. No. 370142/13/2024-TPL(Part)] SOURABH JAIN, Under Secy.

Signature

Name

Address

.....

Designation/Capacity

Explanatory Memorandum: The amendment made to the Income-tax Rules, 1962 in clause (a) of rule 2 of these rules is effective retrospectively from the 1st day of April, 2024 and applies to the assessment year 2024-25 relevant to the previous year 2023-24. Accordingly, it is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 645(E) dated the 16th October, 2024.